अधिसूचना सं. 12/2010 [एफ. सं. 203/23/2009 आईटीए-II], दिनांक 24-2-2010

यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि संगठन महिला मंडल बाड़मेर आगोर (एमएमबीए), बाड़मेर, राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजन के लिए आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5ड़ के साथ पठित, मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 से आगे 'अन्य संस्थान' की श्रेणी में आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न संस्थान के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:—

(*i*) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(*ii*) (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान करेगा;

(*iii*) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग खाता-बही रखेगा, उसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, ऐसी बहियों का उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) की व्याख्या में परिभाषित लेखाकार से ऑडिट कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी भरने की नियत तिथि तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को, जिसके क्षेत्राधिकार में मामला आता है, प्रस्तुत करेगा;

(*iv*) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए लागू की गई राशि का अलग विवरण रखेगा और ऐसे विवरण की एक प्रति लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित करके उपरोक्त निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

2.केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(*a*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट अलग खाता बही रखने में विफल रहता है; या

(*b*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*c*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में निर्दिष्ट प्राप्त दान और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए लागू की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(*d*) अपनी अनुसंधान गतिविधियां बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियां प्रामाणिक नहीं पाई जातीं; या

(*e*) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपबंधों, जिन्हें उक्त नियमों के नियम 5ग और 5ड़ के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है।

■■